मध्य रेल सोलापुर मंडल

# मासिक परिचालन पत्रिका

माह-सितम्बर 2019अंक 23

# सक्षम अभियान

## हमारा उद्देश्य

## संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय

दौंड कोर्ड लाइन में प्रथम मालगाड़ी क्रमांक 12493 बीटीपीएन का आगमन
दिनांक 20.09.2019 को सुबह 08.15 बजे हुआ

**सतर्क आदमी संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है**

# सामान्य नियम 6.07 (1) - ख़राब रेल पथ -

**जब लोको पायलट और / या गार्ड को रेल पथ पथ पर जिस पर उसकी गाड़ी चल रही है, किसी असामान्य स्थिति को महसूस करता है और वह मानता है कि जिस रेल पथ पर उसकी गाड़ी गुजर रही है वह बाद में आनेवाली गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए हानिकारक है तो निम्नानुसार कार्रवाई करेगा:-**

**क.** वह ब्लॉक खंड को किल्यर किये बिना अगले ब्लॉक स्टेशन पर अपनी ट्रेन को रोकेगा, बार-बार सीटी बजाएगा और स्टेशन मास्टर को उपलब्ध संचार के माध्यम से सूचित करेगा. ताकि इकहरी लाइन के मामले में ब्लाक सेक्शन के दोनों सिरों से आने वाली गाड़ी तथा दोहरी लाइन के मामले में पीछे से आने वाली गाड़ी को अनुमति न दी जा सकें. आईबीएस और स्वचलित ब्लाक क्षेत्र के मामले में, इंजन चालक सन्देश के उपलब्ध साधनों द्वारा स्टेशन मास्टर और पिछले स्टेशन से पहले ही प्रस्थान कर चुकी गाड़ी के चालकों को अवश्य सूचित करेगा कि गाड़ियों का संचालन रोकें

**ख.** वह केवल तब तक आगे बढेगा जब उसे यह संतुष्टि होगी कि स्टेशन मास्टर स्पस्ट रूप से समझ गए हैं कि उस लाइन पर तब तक अगले संचालन की अनुमति नहीं देनी है जब तक कि इंजन चालक से स्टेशन मास्टर को घटना का विवरण देने वाला लिखित मेमो प्राप्त नहीं होता, इंजन चालक इस प्रकार पुनः रुकेगा कि इंजन स्टेशन इमारत के अथवा ब्लाक केबिन जहाँ ब्लाक उपकरण रखे गए हैं के सामने रुकेगा जिससे कि वह स्टेशन मास्टर को विस्तृत रूप से लिखित मेमो सोंप सके.

**3** ऐसा मेमो प्राप्त करने पर स्टेशन अम्स्टर ब्लाक सेक्शन के दुसरे सिरे के स्टेशन मास्टर और कनिष्ठ इंजिनियर/सेक्शन इंजिनियर (रेल पथ ), सहयक इंजिनियर, मंडल इंजिनियर, मुख्य नियंत्रक तथा मंडल परिचालन प्रबंधक को सन्देश अवश्य जारी करेगा.

**4** रेल अनुरक्षण मशीन/टावर वैगन/लाइट इंजन को भेजने का प्रबंध अथवा इसके न होने पर गाड़ी जिसके साथ सक्षम इंजीनियरिंग कर्मचारी को सतर्कता आदेश के साथ जिससे रेलपथ के अपेक्षित भाग (पोर्शन) से यथेष्ट पहले रोक सके, भेजा जायेगा. साथवाला इंजीनियरिंग अधिकारी रेल पथ का निरीक्षण करेगा और जब वह संतुष्ट होगा कि गाड़ी के गुजरने के लिए रेल पथ सुरक्षित है तभी गाड़ी को गुजरने की अनुमति देगा. रेलपथ की स्थिति की तथा लगाया जानेवाला कोई गति प्रतिबन्ध की सूचना स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप में देगा जो इंजन चालक के द्वारा भी भेजा जा सकता है.

**5** सक्षम इंजीनियरिंग कर्मचारी की अनुपस्थिति में सतर्कता आदेश के साथ गाड़ी जिसमें इंजन चालक को प्रभावित कि.मी. के पहले गाड़ी रोकने के अनुदेश दिए गए हैं और व्यक्तिगत रूप से रेलपथ की स्थिति से संतुष्ट होने के बाद 10 कि.मी. प्रतिघंटा गति से रेलपथ से गुजरना अथवा यदि वह पाता है कि लाइन पार करने के लिए सुरक्षित है तो पिछले स्टेशन पर वापिस आएगा. यदि इंजन चालक को कोई संदेहास्पद स्थिति का पता नहीं लगता है तो, अनुवर्ती गाड़ियों को प्रभावित सेक्शन में 10 कि.मि.

प्रतिघंटा के गति प्रतिबन्ध से भेजी जाएँगी जब तक कि सक्षम इंजीनियरिंग कर्मचारी द्वारा रेलपथ को सुरक्षित होने को प्रमाणित नहीं कर दिया जाता.

**6** यदि पहले सूचित की स्थिति इंजन चालक द्वारा सही पाई जाती है तो सक्षम इंजीनियरिंग द्वारा रेलपथ के सुरक्षित होने के प्रमाणित किये जाने तक गाड़ी संचालन की अनुमति नहीं होगी.

**टिपण्णी:** यदि गाड़ी के गार्ड द्वारा गाड़ी पर कार्य करते समय रेलपथ में कोई असामान्य घटना महसूस करता है तो वह इंजन चालक और गार्ड के बीच सन्देश के आदान प्रदान के लिए उपलब्ध वाकी टाकी या अन्य साधन के द्वारा इंजन चालक को अवश्य सूचित करेगा, जिसके उपरांत इंजन चालक उपर्युक्त सहायक नियम **6.07(1)(क)** में उल्लिखित कार्रवाई करेगा. गार्ड इंजन चालक के संपर्क करने में अक्षम होने पर गाड़ी रोकने की कार्रवाई कर इंजन चालक को सूचित करेगा.

## 1. सहायक नियम 6.07(2) - तोड़ फोड़ अथवा सद्रश्य स्थिति, रेलपथ पर या गाड़ी में विस्फोट:-

**क**. तोड़ फोड़ करने या तोड़ फोड़ जैसी स्थिति, रेलपथ, पुलों अथवा अन्य फिक्स किये गए (स्थाई) प्रस्थापन पर बम विस्फोट की सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर जिसे इसकी जानकारी मिले यह प्रभावित ब्लाक सेक्शन में गाड़ियों के संचालन को रोकेगा वैसे ही डबल.मल्टिपल लाइन सेक्शनों पर बगलवाली लाइन पर भी गाड़ी संचालन रोकेगा और सेक्शन नियंत्रक के साथ सलाह कर स.नि. **06.07(1)(घ)** के अनुसार कार्रवाई करेगा परन्तु केवल रेल अनुरक्षण मशीन/टावर वैगन/लाइट इंजन को गाड़ी संचालन के लिए लाइन सुरक्षित है यह सुनिश्चित करने के लिए भेजेगा.

**ख**. विस्फोट को सुनते ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंजन चालक गाड़ी को रोकेगा और खराबी की मात्रा का पता लगाने के लिए गार्ड के साथ विस्फोट स्थल की जाँच करेगा. यदि उचित समय में इंजन चालक गाड़ी को खड़ा नहीं कर सका तो गार्ड, गार्डवेन वाल्व से वेक्यूम. एयर प्रेशर को सतर्कतापूर्वक प्रयोगकर इंजन चालक का ध्यान आकर्षित करेगा.

**ग**.इंजन चालक गार्ड के साथ गाड़ी की जाँच करेगा और यदि गाड़ी को कम मात्रा में क्षति पहुँची है या क्षति नहीं हुई है तथा अगले ब्लाक स्टेशन तक गाड़ी सुरक्षित ले जा सकता है तो, गाड़ी को अगले ब्लाक स्टेशन आगे ले जायेगा ओर गार्ड तथा इंजन चालक संयुक्त रूप से घटना की रिपोर्ट ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को देंगे.

**घ**.यदि रेलपथ को गंभीर क्षति पहुंची है जिससे रेलपथ असुरक्षित हो गया है तो सामान्य नियम **6.03** के अनुसार दुर्घटना स्थल को संरक्षित करने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी वहाँ रखा जायेगा.

## 2. सहायक नियम 6.07(3) इंजन चालक और /या गार्ड जब जिस लाइन पर उनकी गाड़ी गुजरी है उस लाइन पर अथवा बगलवाले रेलपथ पर कुछ अवरोध अथवा अन्य कोई असुरक्षित स्थिति महसूस करते हैं और उनके विचार में वह सुरक्षित गाड़ी

**चलने में हानिकारक है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित एतिहातिक कार्रवाई करेगा:-**

**क**.उसके इंजन के फ्लेशर लाइट को तुरंत ऑन करेगा.

**ख**. उपलब्ध संचार के साधनों के माध्यम से सम्बंधित स्टेशन मास्टर (मास्टरों)/नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा और साथ साथ गाड़ी को रोकेगा और सा.नि.3.02 के शर्तो के अनुसार खतरे का हाथ सिगनल दिखाते हुए उक्त लाइन को सुरक्षित करेगा.

**ग**.तदोपरांत वह फ्लेशर लाइट को ऑन रखते हुए अगले स्टेशन तक सतर्कतापूर्वक यात्रा जरी रखेगा और ,

**घ**.वाकी टाकी पर संपर्क स्थापित करके अथवा संचार के लिए उपलब्ध अन्य साधन द्वारा तथा खतरे का हाथ सिगनल दर्शाकर प्रभावित रेलपथ पर आने वाली किसी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहेगा.

**ङ**. विरुद्ध दिशा से आनेवाली गाड़ी के इंजन चालक फ्लेशर लाइट ऑन देखने पर अवरोध के पहले उसकी गाड़ी रोकने की तुरंत कार्रवाई करेगा और आय सुनिश्चित करने के उपरांत कि लाइन जिस पर वह जा रहा है अवरोधमुक्त है तभी आगे बढेगा यदि उसे पता चलता है कि लाइन जिस पर वह जा रहा है अवरुद्ध है तो सा.नि. 6.03 के अनुसार गाड़ी को सुरक्षित करेगा.

**च**.अगला स्टेशन आने पर वह घटना के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर को लिखित में मेमो देगा.

**छ**.ऐसी सूचना प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर स.नि. 6.07(1) (ग) से (छ) तक के अनुसार कार्रवाई करेगा.

**(रे.बो.का दिनांक 17.12.2007 का पत्र संख्या 2007/संरक्षा/,(एएंडआर)/19/3 )**

*****

# सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी

**संकलन : आर.बी.सिंह यातायात निरीक्षक दौंड.**

**सहयोग : पी आर नायर यातायात निरीक्षक (संरक्षा) सोलापुर.**

**संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय**